भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 130
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन

***130. डॉ. डी. रवि कुमारः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं कि जल जीवन मिशन से वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2024-25 के दौरान सभी ग्रामीण घरों में नल से जल का कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य पूरा हो सके;
(ख) वर्ष 2024 में इस मिशन को कार्यान्वित करने में सरकार के समक्ष आई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 13/02/2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *130 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 10.02.2025 तक दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत लगभग 12.22 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 10.02.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.79%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

अब तक, 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमण व दीव तथा पुदुचेरी ने सूचना दी है कि उन्होंने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। 10.02.2025 तक नल जल कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में विलंब आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछेक समस्याएं हैं।

भारत सरकार ने चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना, कार्यक्रम प्रबंधन हेतु तकनीकी कौशल योग्यताओं और मानव संसाधन उपलब्धता अंतराल को कम करने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य

कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और *"नल जल मित्र कार्यक्रम"* का कार्यान्वयन शामिल हैं।

मिशन के तहत, राज्यों को मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर के पुन: उपयोग, आदि की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, जन भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान को वर्ष 2019 में देश के 256 जल संकट वाले जिलों में शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से पेयजल उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, जेएसए: सीटीआर को वर्ष 2023 में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ लागू किया गया था। इसी तरह, वर्ष 2024 में, जेएसए को "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के साथ लागू किया गया था, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: 10.02.2025 तक ग्रामीण परिवारों के नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.8.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से नल जल कनेक्शन दिए गए ग्रामीण परिवार		आदिनांक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	बिहार	14.51	1.30	8.98	12.80	88.26	14.11	97.24
13	उत्तराखंड	0.41	0.01	3.48	0.38	92.57	0.39	96.05
14	लद्दाख	167.55	3.16	1.89	157.19	93.82	160.36	95.71
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.23	88.87	3.37	92.69
16	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.12	91.39	0.12	91.39
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.85	1.21	90.81
18	तमिलनाडु	125.28	21.76	17.37	88.95	71.00	110.71	88.37
19	महाराष्ट्र	146.81	48.44	32.99	81.16	55.28	129.60	88.28
20	उत्तर प्रदेश	267.24	5.16	1.93	229.03	85.70	234.19	87.64
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.13	81.69	6.38	84.95
22	कर्नाटक	101.32	24.51	24.19	59.81	59.03	84.32	83.22
23	असम	6.51	0.05	0.70	5.28	81.06	5.32	81.76
24	मेघालय	72.25	1.11	1.54	57.65	79.78	58.76	81.32
25	जम्मू एवं कश्मीर	19.24	5.75	29.92	9.80	50.95	15.55	80.87
26	छतीसगढ़	50.04	3.20	6.39	37.01	73.97	40.21	80.36
27	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.59
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.67	72.92	67.78	76.42
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.72	41.58	70.46	73.76
30	मध्य प्रदेश	111.89	13.53	12.09	61.75	55.19	75.28	67.28
31	राजस्थान	107.77	11.74	10.89	47.93	44.47	59.67	55.36
32	झारखंड	62.56	3.45	5.52	30.74	49.14	34.19	54.66
33	केरल	175.57	2.15	1.22	93.51	53.26	95.66	54.48
34	पश्चिम बंगाल	70.80	16.64	23.51	21.76	30.74	38.41	54.25
	कुल	**19,36.88**	**3,23.63**	**16.71**	**12,21.82**	**63.08**	**15,45.45**	**79.79**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएचः परिवार